कर्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

पत्रांक/विज्ञप्ति/ 8045-52 /2017-18 दिनांक : 26.8.2017

अपर मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ के पत्रांक संख्या-1218/पन्द्रह-2-17-1072/2017 दिनांक 21.08.2017 के कम मे जनपद इलाहाबाद में संचालित राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल में सहायक अध्यापक (एल0टी0ग्रेड) के रिक्त पदो के सापेक्ष बेसिक शिक्षा परिषद के आधीन कार्यरत शिक्षकों में से अर्हताधारी शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तथा राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापकों की मानदेय पर इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते है।

प्रतिनियुक्ति हेतु अर्हता-

01. बेसिक शिक्षा परिषद के आधीन विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका की शैक्षिक अर्हता, राजकीय माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक की शैक्षिक अर्हता रखते है एवं वे प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक है।
02. विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से चयनित एवं कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के आधीन कार्यरत अन्य शिक्षक/शिक्षिका जो पद की शैक्षिक अर्हता के समान शैक्षिक अर्हता रखते है एवं वे प्रतिनियुक्ति पर आने के इच्छुक है।
03. इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित करवाना अनिवार्य है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय के कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद में सीधे दिनांक 06.09.2017 की सायं 05:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित तिथि के पश्चात् कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। प्रापत आवेदन पत्रों में अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 11.09.2017 को प्रातः 10:00 बजे से विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिन्दी, सामाजिक विज्ञान तथा दिनांक 12.09.2017 को शेष सहायक अध्यापकों के सभी विषयों का साक्षात्कार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से किया जायेगा। विद्यालयों में जनपद स्तर पर रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है, तथा विद्यालयवार विवरण संलग्न है-

क्र0सं0	विषय का नाम	पदों का विवरण
1	शारीरिक शिक्षा	1
2	कृषि	2
3	कला	3
4	हिन्दी	6
5	विज्ञान	8
6	संस्कृत	1
7	सामाजिक विज्ञान	6
8	जीव विज्ञान	1
9	अंग्रेजी	9
10	गणित	12
11	गृह विज्ञान	1
	कुल योग	50

नोट :- राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक/प्रवक्ता भी अपने विषय के अनुसार आवेदन कर सकते है।

चयन साक्षात्कार के आधार पर प्रथमतः बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अध्यापकों का चयन किया जायेगा, पद रिक्त होने की दशा में सेवानिवृत्त अध्यापकों का चयन किया जायेगा।

प्रतिनियुक्ति/मानदेय की शर्ते -

01. प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले सहायक अध्यापक की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 31.03.2019 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो तक ही होगी।
02. सेवानिवृत्त शिक्षक/शिक्षिका की सेवा अवधि दिनांक 31.03.2018 अथवा रिक्त पद के सापेक्ष नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले जो तक ही होगी।
03. सेवानिवृत्त शिक्षकों की अधिकतम आयु 65 वर्ष तथा उन्हे स्वस्थता प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
04. सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय के रूप में वह नियत धनराशि अनुमान्य होगी जो संबंधित शिक्षक के अन्तिम आहरित वेतन में से शुद्ध पेंशन की धनराशि (राशिकरण के पूर्व यदि कोई हो घटाने के फलस्वरूप हो) आये।
05. प्रतिनियुक्ति तथा उपरोक्त सेवा निवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति नितांत अस्थायी प्रकृति की हागी तथा किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकेगी।
06. प्रतिनियुक्ति/सेवानिवृत्त पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति प्रथम चरण में मा0 शिक्षा विभाग के राजकीय शिक्षक/शिक्षिका के लिये स्थानान्तरण/समायोजन नीति 2017 संबंधित शासनोदश संख्या -779/15-2-2017-552/2017 दिनांक 29.06.2017 में निहित प्राविधानानुसार विद्यालयों में रिक्त पद के प्रति की जाएगी।
07. प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात् संबंधित शिक्षकों को मूल विभाग में वापस कर दिया जायेगा तथा उनकी तैनाती के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अपने स्तर से निर्णय लिया जायेगा।

08. प्रतिनियुक्ति पर आये अध्यापकों को उनके द्वारा प्राप्त समान वेतन दिया जायेगा।
09. प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नही होगा।
10. प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने वाले कर्मियों द्वारा भविष्य में सम्मिलियन की मांग नही की जायेगी। इस आशय का शपथ–पत्र प्रतिनियुक्ति पर तैनात किये जाने से पूर्व संबधित कार्मिक के द्वारा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
11. परिषदीय विद्यालय में मौलिक रूप से कार्यरत ऐसे अध्यापकों को इस शर्त के साथ प्रतिनियुक्ति दी जायेगी कि परिषदीय अध्यापक का धारणाधिकार प्रतिनियुक्ति से वापस जाने पर अपने मौलिक रूप से नियुक्त/तैनाती के जनपद एवं उनके मूल पद के सापेक्ष रहेगा।

प्रतिनियुक्ति/मानेदय के आधार पर शिक्षकों की तैनाती के आवेदन पत्र का प्रारूप

01. आवेदित पद का नाम (विषय सहित) ____________________
02. अभ्यर्थी का नाम ____________________
03 पिता/पति का नाम ____________________
04. जन्म तिथि ____________________
05. स्थायी पता ____________________
06. पत्र व्यवहार का पता ____________________
07. ई–मेल आई0डी0 ____________________
08. दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर ____________________

अभ्यर्थी की नवीनतम फोटो

शैक्षिक योग्यता का विवरण :–

परीक्षा का नाम	वर्ष	समस्त विषय	बोर्ड/संस्था	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हाईस्कूल						
इण्टरमीडिएट						
स्नातक						
परास्नातक						
बी0एड0						
अन्य (डिग्री, डिप्लोमा, आदि)						

मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त समस्त सूचनाएं सही है, मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नही गया है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचनाएं गलत पायी जाती है, तो मेरा चयन/अभ्यर्थन रद्द कर दिया जाये, इससे मुझे कोई आपत्ति नही है।

अग्रसारण अधिकारी– (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी) का हस्ताक्षर मुहरयुक्त

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर ....
अभ्यर्थी का पूरा नाम ....

26.8.17
(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : / 8045-52 /2017–18 दिनांक : 26.8.2017
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. जिलाधिकारी महोदय, इलाहाबाद।
2. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक), उ0प्र0 लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद।
4. संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।
5. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद।
6. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट www.allahabad.nic.in पर अपलोड कराने का कष्ट करे।
8. समस्त सम्मानित जिला संवाददाता दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनहित में अपने समाचार पत्र के मुख्य पृष्ठ पर निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करे।

26.8.17
(आर0एन0 विश्वकर्मा)
जिला विद्यालय निरीक्षक
इलाहाबाद।